

केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, कोचीन बनाम मैसर्स टाटा टी लिमिटेड।

2 मई, 2002

[एन. संतोश हेगड़े और शिवराज वी. पाटिल, न्यायाधिपतिगण]

चाय अधिनियम, 1953 - धारा 25 और 3 (एन) - भारत में उत्पादित चाय पर उपकर का अधिरोपण - एक चाय कंपनी द्वारा निर्मित और निर्यात की जाने वाली 'इंस्टैंट चाय' - उपकर - देयता - अभिनिर्धारित, चूंकि 'तत्काल चाय' धारा 3 (एन) के अर्थ में चाय की परिभाषा के अंतर्गत आती है, इसलिए उस पर उपकर लगाया जा सकता है।

कानूनों की व्याख्या - जब अधिनियम विशेष रूप से किसी शब्द की परिभाषा प्रदान करता है, तो अन्य अधिनियमों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

'इंस्टैंट चाय' के निर्माण में लगे प्रत्यर्थी को नोटिस यह बताने के लिये जारी किया गया था कि उनके द्वारा स्वीकृत 'तत्काल चाय' पर चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 के तहत उपकर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि 'इंस्टैंट चाय' अधिनियम की धारा 3 (एन) की परिभाषा के भीतर आने वाली 'चाय' नहीं थी और इस प्रकार नोटिस गलत थे। सहायक आयुक्त द्वारा यह अभिनिर्धारित किया

गया कि उपकर लगाया जा सकता था। आयुक्त (अपील) ने उसे बरकरार रखा। हालांकि, न्यायाधिकरण द्वारा खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 और चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि 'इंस्टेंट चाय' को अधिनियम की धारा (3) एन के अर्थ के भीतर 'चाय' नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार उपकर लगाया जा सकता है।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी ने तर्क दिया कि 'चाय' शब्द के लिए उपकर लगाने की व्याख्या अधिनियम में दी गई 'चाय' की परिभाषा के आधार पर की जानी चाहिए, और न कि खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 और चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में दी गई परिभाषाओं के आधार पर; कि 'इंस्टेंट चाय' चाय की विविधता है और इसे व्यावसायिक रूप से 'इंस्टेंट चाय' के रूप में जाना जाता है और बाजार में बेचा जाता है; और 'इंस्टेंट चाय' के निर्माण और तैयारी के तरीके में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न्यायाधिकरण ने अन्य अधिनियमों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि 'इंस्टेंट चाय', 'चाय' नहीं है।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि 'इंस्टेंट चाय' की एक अलग पहचान है और यह बाजार में अलग तरह से जानी जाती है और इसलिए यह अधिनियम के अंतर्गत चाय की परिभाषा के भीतर नहीं आती है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

1.1. चाय अधिनियम, 1953 की धारा 3 (एन) के तहत 'चाय' की परिभाषा को पूरा करने के लिए एक उत्पाद को व्यावसायिक रूप से चाय के रूप में पहचाना जाना चाहिए और यह कैमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ. कुंत्जे के पौधे की पत्तियों से बनाया जाना चाहिए। 'इंस्टैंट चाय' इन दोनों शर्तों को पूरा करती है। यह बताती है कि यह एक 'चाय' है। शब्द 'इंस्टैंट चाय' निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद का ब्रांड नाम नहीं है, बल्कि उत्पाद का ही नाम है। यह चाय का एक प्रकार है। पुनः आगे, शब्द 'इंस्टैंट चाय' का अर्थ है कि यह एक 'चाय' है, जिसे तुरंत तैयार किया जा सकता है/उपयोग किया जा सकता है। केवल क्योंकि उत्पाद को 'इंस्टैंट चाय' के रूप में जाना जाता है, यह व्यावसायिक रूप से 'चाय' के रूप में पहचाने जाने से मना नहीं करती है। चाय तैयार करने का तरीका और 'इंस्टैंट चाय' पाउडर के निर्माण की प्रक्रिया को अधिनियम के तहत 'इंस्टैंट चाय' को 'चाय' की परिभाषा से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार 'इंस्टैंट चाय' धारा 3 (एन) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अंतर्गत आती है और इस पर अधिनियम की धारा 25 के

अंतर्गत उपकर लगाया जा सकता है - 1753 एफएच 734 'ए, बी।

1.2. आयुक्त (अपील), सहायक आयुक्त के आदेश को बरकरार रखने में सही था, लेकिन न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि 'इंस्टेंट चाय', 'चाय' से अलग है और यह अधिनियम की धारा 3 (एन) के दायरे से बाहर है। जब अधिनियम में चाय को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, तो न्यायाधिकरण को 'इंस्टेंट चाय' को अधिनियम के तहत चाय की परिभाषा में शामिल नहीं किये गये उत्पाद के रूप में मानने के लिये अन्य अधिनियमों का हवाला देकर खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिये था। [734-बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील नंबर 1515-1517/ 1999

ए.नं. ई/358,361 और 362/1998 अंतर्गत एफ. ओ. सं. 1352-1354/1998 में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 17/7/1998 से ।

सोली जे. सोराबजी, महान्यायवादी, राजीव नंदा और बी. के. प्रसाद  
अपीलार्थी लिये ।

अनिल बी. दीवान, जॉय जोसेफ और आर. बी. हाथीखानवाला,  
प्रत्यर्थी के लिये।

न्यायालय का आदेश न्यायाधिपति श्री शिवराज वी पाटिल के  
द्वारा जारी किया गया-

विचार के लिए उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या  
प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित और निर्यातित 'इंस्टेंट चाय' अधिनियम 1953  
की धारा 25 के अंतर्गत उपकर लगाये जाने के लिये उत्तरदाई है।

प्रत्यर्थी 'इंस्टेंट चाय' निर्मित करने का कार्य करता है। प्रत्यर्थी  
द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे कि बताये गये विगत  
वर्षों के दौरान उनके द्वारा निर्मित की गई 'इंस्टेंट चाय' पर  
अधिनियम 1953 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25 के अंतर्गत  
उपकर क्यो नहीं लगाया जाना चाहिये। प्रत्यर्थी का जवाब यह था कि  
'इंस्टेंट चाय' अधिनियम की धारा 3 (एन) के तहत दी गई परिभाषा के  
अंतर्गत आने वाली 'चाय' नहीं थी और यह कि जारी किए गए कारण  
बताओ नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध थे। सहायक आयुक्त ने मांग की  
पुष्टि की। प्रत्यर्थी ने आयुक्त (अपील), कोचीन में अपील दायर की,

जिसने सहायक आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा। प्रत्यर्थी ने इस मामले को सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष उठाया, जिसने आयुक्त (अपील) के आदेश को यह विचार रखते हुए अपास्त कर दिया कि "इंस्टेंट चाय" को अधिनियम की धारा 3 (एन) के अर्थ के भीतर 'चाय' नहीं माना जा सकता है। इसलिये इस प्रकार राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

विद्वान महान्यायवादी ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया कि उपकर लगाने के लिए 'चाय' शब्द की व्याख्या अधिनियम में दी गई चाय की परिभाषा के आधार पर की जानी चाहिए और न कि खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 और चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में दी गई परिभाषाओं के आधार पर; 'इंस्टेंट चाय', चाय की एक किस्म है और इसे व्यावसायिक रूप से 'इंस्टेंट चाय' के रूप में जाना और बेचान किया जाता है; 'इंस्टेंट चाय' के निर्माण और तैयार करने के तरीके में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी; न्यायाधिकरण ने अन्य अधिनियमों का उल्लेख करके इस निष्कर्ष पर पहुँचकर खुद को गलत दिशा दी कि 'इंस्टेंट चाय', चाय नहीं है। उसके अनुसार, चाय तैयार करने का तरीका और इसका सेवन गर्म या ठंडे रूप में किया जाता है, यह तय करने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या 'इंस्टेंट चाय' अधिनियम के तहत उपकर को आकर्षित करती है।

प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान वकील श्री अनिल बी. दीवान ने न्यायाधिकरण के विवादित आदेश का समर्थन करते हुये आदेश में बताये गये उन सभी कारणों पर जोर देते हुये दलीलें दीं कि 'इंस्टेंट चाय' जब ठंडे पानी में मिलाई जाती है, तो यह पूरी तरह से घुल जाती है और इसे तुरंत ले लिया जाता है; चाय का अर्क प्राप्त करने के लिए इसे गर्म पानी के साथ नहीं मिलाया जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि 'इंस्टेंट चाय' की एक अलग पहचान है और यह बाजार में अलग तरह से जानी जाती है और इसलिए यह अधिनियम के तहत 'चाय' की परिभाषा के भीतर नहीं आती है।

प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सराहना करने और शुरुआत में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दर्ज करने के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी है, जो नीचे दिए गए हैं:

"धारा 3 (एन)- "चाय"का अर्थ है कैमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ. कुंज़े का पौधा, साथ ही उत्पाद की सभी किस्में जिन्हें व्यावसायिक रूप से चाय के रूप में जो कि "कैमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ. कुंज़े पौधे की पत्तियों से ग्रीन टी को सम्मिलित कराते हुये बनाया जाता है।

धारा 251 - भारत में उत्पादित चाय पर उपकर लगाना - (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में भारत में उत्पादित सभी चाय पर ऐसी दर से उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाए जो पचास पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सुनिश्चित करे;

बशर्ते कि विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग दरें तय की जा सकती हैं या स्थान और जलवायु को ध्यान में रखते हुए चाय के स्तर, चाय की ऐसी किस्मों या स्तरों का उत्पादन करने वाले चाय बागानों या बगीचों में प्रचलित परिस्थितियाँ और ऐसे उत्पादन के लिए लागू कोई अन्य परिस्थितियाँ।

2. उप-धारा (1) के तहत लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या उस समय के लिए कोई अन्य कानून जो प्रभाव में हो, के तहत चाय पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें शुल्क से छूट की वापसी से संबंधित नियम भी शामिल हैं, इस धारा के तहत उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में जहां तक हो सके, लागू



होंगे। जैसा कि वे उक्त अधिनियम के तहत चाय पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं।

[जोर दिया गया]

धारा 3 (एन) के तहत 'चाय' की की गई परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए, एक उत्पाद को व्यावसायिक रूप से चाय के रूप में पहचाना जाना चाहिए और इसे कैमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ. कुंत्जे के पौधे के पत्तों से बनाया जाना चाहिए। 'इंस्टेंट चाय' इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है सिर्फ नाम से ही, उत्पाद नाम 'इंस्टेंट चाय' बताता है कि यह एक 'चाय' है। शब्द 'इंस्टेंट चाय' निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद का ब्रांड नाम नहीं है, बल्कि उत्पाद का ही नाम है। यह, चाय का ही एक प्रकार है। पुनः, शब्द 'इंस्टेंट चाय' का अर्थ है कि यह एक 'चाय' है, जिसे तैयार/उपयोग किया जा सकता है। केवल इसलिये क्योंकि उत्पाद 'इंस्टेंट चाय' के रूप में जाना जाता है, इसे व्यावसायिक रूप से 'चाय' के रूप में पहचाने जाने की मनाही नहीं है। चाहे चाय का सेवन गर्म पेय के रूप में किया जाए या ठंडे पेय के रूप में, किसी की पसंद और स्वाद के आधार पर निर्भर करता है, यह तय करने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अधिनियमकी धारा 3 (एन) के अंतर्गत दी गई परिभाषा में आने वाली चाय है। हमारी राय में, चाय तैयार करने का तरीका और उत्पादन की प्रक्रिया 'इंस्टेंट चाय' का एक चूर्ण 'चाय' की परिभाषा से 'इंस्टेंट चाय' को हटा नहीं सकता है, इसके

तहत 'इंस्टेंट चाय' का उत्पादन कैमेलिया सिनेन्सिस (एल) ओ. कुंजे के पौधे के पत्तों से किया जाता है। इन परिस्थितियों में, 'इंस्टेंट चाय' को धारा 3 (एन) के अर्थ के भीतर चाय की परिभाषा द्वारा कवर किया जाता है। एक बार 'इंस्टेंट चाय' धारा 3 (एन) की परिभाषा के भीतर आ जाये, अधिनियम की धारा 25 के तहत इस पर उपकर लगाया जा सकता है। हमारे विचार से आयुक्त (अपील), सहायक आयुक्त के आदेश को बराकरार रखने में सही था लेकिन न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि 'इंस्टेंट चाय', 'चाय' से अलग है और यह अधिनियम की धारा 3 (एन) के साथ खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 और चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 के दायरे से बाहर आती है। अधिनियम ने विशेष रूप से 'चाय' को परिभाषित किया है, न्यायाधिकरण को 'इंस्टेंट चाय' को अधिनियम के तहत 'चाय' की परिभाषा में शामिल नहीं किए गए उत्पाद के रूप में समझने के लिए अन्य अधिनियमों का उल्लेख करके खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए था।

ऊपर जो कहा गया है, उसके लिए हम सकारात्मक और राजस्व के पक्ष में प्रश्न का उत्तर देते हैं। परिणामतः चुनौती के तहत आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिये अपील इसे अपास्त किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। खर्च के बाबत कोई आदेश नहीं है।

अपीलें स्वीकृत की गईं।

□□□□□□□□ - □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□  
 □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□  
 □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□  
 □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□  
 □□ □ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□  
 □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□  
 □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□ □□□  
 □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□  
 □□□□□□□□